10 रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

+20/- (2)

<u>न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल राजस्व मध्य प्रदेश, ग्वालियर</u>

पुनर्स्थापन – 5706/2018/ भोपाल/भू.रा. <u>प्रकरण क्रमांक</u> :................./2018

1. सतनाम सिंह,
   आयु लगभग 58 वर्ष,
   पुत्र स्व0 श्री जोगेन्दरसिंह सलूजा,
2. गुरूभेजसिंह,
   आयु लगभग 50 वर्ष,
   पुत्र स्व0 श्री जोगेन्दरसिंह सलूजा,
3. त्रिलोचन सिंह सिंह,
   आयु लगभग 47 वर्ष,
   पुत्र स्व0 श्री जोगेन्दरसिंह सलूजा,
   निवासी 34, सीआरपी लाईन,
   संत हिरदाराम नगर बैरागढ़, भोपाल --- आवेदकगण

विरूद्ध

1. श्रीमती अविनाश कौर,
   आयु 49 साल,
   पत्नी श्री सतवंत सिंह,
   पुत्री स्व0 श्री जोगेन्दर सिंह,
   निवासी 34, सीआरपी लाईन, फाटक रोड,
   संत हिरदाराम नगर बैरागढ़ भोपाल ,
2. श्रीमती रंजीता छाबड़ा,
   आयु लगभग 59 वर्ष,
   पत्नी श्री चरणसिंह छाबड़ा,
   पुत्री स्व0 श्री जोगेन्दर सिंह,
   निवासी पंजाबी मोहल्ला, शुजालपुर मंडी,
   जिला शाजापुर --- अनावेदकगण

<u>आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 35(3) म0प्र0 भू-राजस्व संहिता</u>

आवेदकगण की ओर से निम्नानुसार निवेदन है-

1. यह कि आवेदकगण द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी वृत्त बैरागढ़ भोपाल के प्रकरण क्रमांक 15/अपील/2016-17 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 05.05.2017 एवं अपील न्यायालय अपर कमिश्नर भोपाल के प्रकरण कमाक 147/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 27.11.2017 से व्यथित होकर माननीय न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी जो माननीय न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/ भू0राज0/2017/6330 पर पंजीकृत किया गया ।

2. यह कि आवेदकगण द्वारा उपरोक्त निगरानी प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने के बाद पक्ष समर्थन किये जाने हेतु अपने अधिवक्ता श्री डी0डी0 मेघानी अधिवक्ता को मूलतः नियुक्त किया गया था।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पुर्नस्थापन 5706/2018/भोपाल/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1-11-2018	आवेदक की ओर से श्री एस.के. बाजपेयी एवं श्री मुकेश बेलापुरकर, अभिभाषकगण उपस्थित । अनावेदक पक्ष की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी मेमों पर उपस्थित । उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों को पुर्नस्थापन आवेदन पत्र पर सुना गया । मूल प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2017/6330 पुन: नम्बर पर लिया जाता है । यह पुर्नस्थापन प्रकरण समाप्त किया जाता हैं । अध्यक्ष	